राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

मिसल संख्या :– 03 / 2024

–: आदेश :–

दिनांक :– 05.03.2024

प्रार्थी तहसीलदार खेतड़ी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132 व राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानों के तहत तहसीलदार खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है, को निम्नलिखित रूप से आदेश के संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस में अंकित दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार खेतड़ी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। प्रस्तुत प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस (प्रदर्श “अ” व “ब”) इस आदेश के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार खेतड़ी रास्ते का नामान्तकरण दर्ज कर रास्ते का नक्शे में लाल स्याही से अंकन करे। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में ही दर्ज रहेगा। नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावेगी।

क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम	पटवार मण्डल	तहसीलदार खेतड़ी के प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के मुताबिक रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के खसरा नम्बरान का विवरण
1.	लालगढ़	~~लालगढ़~~ पपुरना	4464 / 2993

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

क्रमांक :– राजस्व / 2024 / 203 दिनांक :–05–03–2024

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु वास्ते पालनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:42:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी